

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर (राज0)

-: कार्यालय आदेश :-

संस्था/विद्यालय ----- राजाधानी पब्लिक स्कूल


स्थान ----- बानसूर -----को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं

अनुदान नियम एवं क्रमोन्नति नियम तहत 1993 एवं तत्पश्चात् किए गये संशोधन के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते

हुए सत्र 2008-09 से उच्च प्राथमिक स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम)की मान्यता प्रदान की जाती है ।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत

स्थिति पाए जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है ।



जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर


क्रमांक :- जिशिअ/प्राशि/अल0/संस्था-2/फा-मान्यता /2008-09/ 39

दिनांक:- 31-3-08

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, ग्रुप-5, सचिवालय, जयपुर ।
- 2- आयुक्त महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ।
- 3- शिक्षा उप निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर ।
- 4- व्यवस्थापक संस्था राजाधानी पब्लिक स्कूल, बानसूर -----
- 5- कार्यालय प्रति ।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर


Principal
Chairman
Rajdhani Public School
Bansur. (Alwar) Rajasthan